



दिनांक 06.10.2020

प्रेस विज्ञप्ति 06/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बुलन्दशहर/थाना सिकन्द्राबाद

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार
- 01 अवैध तमन्चा 315 बोर, 02 जीवित ,01 खोखा कारतूस,
एक चोरी का दो पहिया वाहन बरामद।

दिनांक 05/06.10.2020 की रात्रि को थाना सिकन्द्राबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान धराना तिराहे के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाश की घेराबंदी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त दानिश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमन्चा 315 बोर ,02 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस व एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त दानिश शातिर किस्म का अपराधी है, तथा अभियुक्त थाना गुलावटी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-118/2020 में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-दानिश निवासी ग्राम मौ0 पीरखॉ कस्बा व थाना गुलावटी जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1-01 चोरी की मोटरसाइकिल।

2-01 अवैध तमन्चा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना कोतवाली टाण्डा

• चोरी की घटना का अनावरण

• 06 अभियुक्त गिरफ्तार ,चोरी के 76 लाख रूपये नगद

• 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनांक 05.10.2020 की रात्रि थाना कोतवाली टाण्डा व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 06 अभियुक्त 1-दिलदार उर्फ मोनू, 2-महफूज, 3-मोहम्मद फ़ैजान, 4-अशरफ, 5-गुरफान, 6-अमीना को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 76 लाख रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि कस्बा टाण्डा स्थित वादी के घर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में थाना कोतवाली टाण्डा पर मु0अ0सं0 270/2020 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बरामद माल को उक्त घटना से संबंधित होना स्वीकार किया।

इस संबंध में थाना कोतवाली टाण्डा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-दिलदार उर्फ मोनू नि0 छज्जापुर चटोरी गली थाना कोतवाली टाण्डा अम्बेडकरनगर।
- 2-महफूज नि0 नैपुरा थाना कोतवाली टाण्डा अम्बेडकरनगर।
- 3-मोहम्मद फ़ैजान नि0 नैपुरा थाना कोतवाली टाण्डा अम्बेडकरनगर।
- 4-अशरफ निवासी मीरानपुरा थाना कोतवाली टाण्डा अम्बेडकरनगर।
- 5-गुरफान उर्फ करफू नि0 छज्जापुर थाना कोतवाली टाण्डा।
- 6-अमीना नि0 छज्जापुर थाना कोतवाली टाण्डा।

बरामदगी

- 1-चोरी के 76 लाख रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि।

जनपद बुलन्दशहर/थाना रामघाट

• पुलिस कार्यवाही में 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

• चोरी के 40 मोबाइल फोन, 01 लैपटॉप, 1500 रूपये नगद

• 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद

दिनांक 05.10.2020 की रात्रि थाना रामघाट पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान ग्राम गोकुलपुर के पास से पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 1-रोजश उर्फ लुक्का, 2-रौदास को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 40 मोबाइल

फोन, 01 लेपटॉप, 1500 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त राजेश उर्फ लुक्का व रौदास शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके द्वारा कस्बा रामघाट स्थित मोबाइल की दुकान में चोरी की घटना कारित की गयी थी। अभियुक्तों के कब्जे से बरामद मोबाइल फोन, लैपटॉप उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस संबंध में थाना रामघाट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—राजेश उर्फ लुक्का निवासी सकरोरा खादर थाना गुन्नौर जनपद सम्मल।
- 2—रौदास निवासी शिवपुरी कालोनी बबराला थाना गुन्नौर जनपद सम्मल।

बरामदगी

- 1—चोरी के 40 मोबाइल,
- 2—01लेपटॉप
- 3—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस,
- 4—चोरी के 1500 रूपये।

जनपद फिरोजाबाद/थाना उत्तर

● शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते दो शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

● 13 बने/अधबने अवैध शस्त्र विभिन्न बोर व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद दिनांक 05.10.2020 को थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोपाल नगर शिवाजी मार्ग के पास घेराबंदी कर अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते शातिर दो अभियुक्तों 1—जितेन्द्र कुमार उर्फ पप्पन 2—चन्द्रकांत उर्फ विल्ला को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 13 बने/अधबने अवैध शस्त्र विभिन्न बोर व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुये।

इस संबंध में थाना उत्तर पुलिस पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—जितेन्द्र कुमार उर्फ पप्पन नि0 ढोलपुरा थाना लाइनपार फिरोजाबाद।
- 2—चन्द्रकांत उर्फ विल्ला नि0 लेवर कालोनी थाना लाइनपार फिरोजाबाद।

बरामदगी

- 1—13 बने/अधबने अवैध शस्त्र विभिन्न बोर व शस्त्र बनाने के उपकरण।

जनपद बुलन्दशहर/थाना अहमदगढ़

- पुलिस कार्यवाही में 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
 - लूट के 02 मोबाइल, 02 मोटर साइकिल,
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद।

दिनांक 05.10.2020 की रात्रि थाना अहमदगढ़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान ग्राम मुमरेजपुर रोड़ नहर पुलिया के पास से पुलिस कार्यवाही के दौरान अभियुक्त 1-रहीमुद्दीन, 2-मुस्तकीम, 3-जुबेर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 02 मोबाइल, 02 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त रहीमुद्दीन, मुस्तकीम व जुबेर शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरुद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या, हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है। बरामद मोबाइल फोन व मोटरसाइकिल थाना अहमदगढ़ पर मु0अ0सं0-230/20 धारा 392/411 भादवि से संबंधित है।

इस संबंध में थाना अहमदगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-रहीमुद्दीन निवासी मो0 सुनारो वाली गली कस्बा व थाना अहमदगढ़, बुलन्दशहर।
- 2-मुस्तकीम निवासी मोहल्ला तेलीवाला कस्बा व थाना अहमदगढ़, बुलन्दशहर।
- 3-जुबेर निवासी मो0 सुनारो वाली गली कस्बा व थाना अहमदगढ़, बुलन्दशहर।

बरामदगी

- 1-लूट के 02 मोबाइल,
- 2-02 मोटर साइकिल (01 मोटरसाइकिल लूट की)।
- 3-01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

जनपद बदायूं/थाना फैजगंज बैहटा

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार
 - 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद।

दिनांक 05.10.2020 को थाना फैजगंज बैहटा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुलिस कार्यवाही के दौरान अभियुक्त कामेश्वर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त कामेश्वर शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद सम्भल, रामपुर, बदायूं के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, गैंगेस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त फैजगंज बैहटा पर मु0अ0सं0-39/2020 धारा 363/366 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना फैजगंज बैहटा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-कामेश्वर निवासी ग्राम तारापुर थाना चन्दौसी जनपद सम्भल ।

बरामदगी

1-01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद श्रावस्ती/थाना मल्हीपुर

● पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित,

● अपराधी गिरफ्तार।

दिनांक 05.10.2020 को थाना मल्हीपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त रूदल को मधवापुर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त रूदल थाना मल्हीपुर के मु0अ0सं0-288/2019 धारा 8/20/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मल्हीपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-रूदल निवासी ग्राम सोनबरसा थाना कोतवाली सलेमपुर जनपद देवरिया।

जनपद कानपुर नगर/थाना पनकी

● पुलिस कार्यवाही में 05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

● चोरी के 09 मोटर साइकिल आदि बरामद।

दिनांक 06.10.2020 को थाना पनकी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान भाटिया तिराहे पर पुलिस कार्यवाही के उपरांत अभियुक्त 1-शिवम्, 2-अरविन्द, 3-रोहित, 4-सुधीर,

5—रईस, को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 मोटरसाइकिल, 01 कटी मोटरसाइकिल व मोटरसाइकिल के कटे हुए पार्ट्स बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शिवम् ,अरविन्द, रोहित, सुधीर, रईस शातिर किस्म के वाहन चोर है, जिनके विरुद्ध थाना पनकी पर चोरी के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस संबंध में थाना पनकी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—शिवम् निवासी कुबुबपुर थाना फॅफूद जनपद औरैया ।
- 2—अरविन्द निवासी द्वारिकागंज झीझक थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।
- 3—रोहित निवासी वार्ड नं0-6 खानपुर रोड़ झीझक थाना मंगलपुर, कानपुर देहात 4—सुधीर निवासी खानपुर फॅफूद जनपद औरैया ।
- 5—रईस निवासी खानपुर फॅफूद जनपद औरैया ।

बरामदगी

- 1— 08 चोरी के मोटरसाइकिल,
- 2—01 मोटर साइकिल कटी हुयी ,मय कटे हुए पार्ट्स ।

एसटीएफ: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिक संस्थान (NIELIT) द्वारा आयोजित की जाने वाली 'ट्रिपल सी (कोर्स ऑन कम्प्यूटर कान्सेप्ट)' की आनलाइन परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोह के सरगना सहित 14 अभियुक्तों की गिरफ्तारी, भारी संख्या में कम्प्यूटर और नकदी बरामद

दिनांक 05.10.2020 को एसटीएफ, उप्र की फील्ड इकाई, प्रयागराज को थाना औद्योगिक क्षेत्र, जनपद प्रयागराज में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिक संस्थान (NIELIT) द्वारा आयोजित की जाने वाली 'ट्रिपल सी (कोर्स ऑन कम्प्यूटर कान्सेप्ट)' की आनलाइन परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोह के सरगना सहित 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. अशोक कुमार नौटियाल पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र नौटियाल, निवासी 42/7 जवाहर लाल नेहरू रोड़, टैगोर टाउन, जनपद प्रयागराज (मैनेजर-चन्द्रकला यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड)।
2. शास्वत केसरवानी पुत्र श्री अनिल कुमार केसरवानी, निवासी 161/22 काशीराज नगर, बलुआघाट, थाना मुठ्ठीगंज, जनपद प्रयागराज।
3. सुनील कुमार दूबे पुत्र श्री गोपाल जी दूबे, निवासी 108/01 उमरपुर नीवां, थाना धूमनगंज, जनपद प्रयागराज।
4. सुधांशु गुप्ता पुत्र श्री आनन्द गुप्ता, निवासी 161/11 साउथ मलाका, थाना कोतवाली जनपद प्रयागराज।
5. मनीष चन्द्र पाण्डेय पुत्र स्व० नवीन चन्द्र पाण्डेय, निवासी 26ए/38 लूकरगंज, थाना खुल्दाबाद, जनपद प्रयागराज।
6. अमित शंकर पाण्डेय पुत्र श्री विजय शंकर पाण्डेय, निवासी एन 12/307डी लखरांव, थाना भेलूपुर, जनपद वाराणसी हालपता रामजानकी मन्दिर, त्रिवेणी बांध, दारागंज, जनपद प्रयागराज।
7. प्रियांक मिश्रा पुत्र श्री कैलाश नाथ मिश्रा, निवासी चकदाऊद, थाना नैनी, जनपद प्रयागराज।
8. आनन्द कुशवाहा पुत्र स्व० रामयश कुशवाहा, निवासी 2बी म्योर रोड, निकट आनन्द हास्पिटल, थाना कर्नलगंज, जनपद प्रयागराज।
9. अभिषेक खेर पुत्र स्व० गतेन्द्र कुमार खेर, निवासी राधाकुंज आर०के० 78 कालिन्दीपुरम, थाना धूमनगंज, जनपद प्रयागराज।
10. मुकेश तिवारी पुत्र श्री सुनील कुमार तिवारी, निवासी बकसुन्दा, थाना मेजा, जनपद प्रयागराज।
11. वैभव श्रीवास्तव पुत्र श्री विष्णु प्रसाद श्रीवास्तव, निवासी 301/25 आर०के० पुरम ए०डी०ए०, थाना नैनी, जनपद प्रयागराज।
12. हर्षवर्धन पुत्र श्री उमेश चन्द्र सरोज, निवासी ऊदपुर घाटमपुर नेवादा मुकालिसपुर, थाना बदलापुर, जनपद जौनपुर।
13. इरशाद पुत्र श्री इखलाक, निवासी 95/43 न्यू आबादी चकिया, थाना खुल्दाबाद, जनपद प्रयागराज।
14. सन्दीप तिवारी पुत्र श्री किशोरी लाल तिवारी, निवासी 6/59 प्रीतमनगर, थाना धूमनगंज, जनपद प्रयागराज।

बरामदगी:-

- 1- 14 अदद मोबाइल।
- 2- 08 अदद आधार कार्ड।
- 3- 02 अदद ड्राइविंग लाईसेन्स।
- 4- 26 अदद कम्प्यूटर मानीटर।
- 5- 26 अदद कम्प्यूटर सी०पी०यू०।
- 6- 26 अदद कम्प्यूटर माउस।

- 7- 14 अदद एडमिट कार्ड।
8- 4 पेजों में 150 अभ्यर्थियों के पूर्ण विवरण की सूची।
9- नकद रू0 208630 /—(दो लाख आठ हजार छः सौ तीस रूपया)।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय:

चन्द्रकला यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, नैनी, दिनांक-05-10-2020 समय 14:45 बजे।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को दिनांक:-29.09.2020 से 07.10.2020 तक उ0प्र0 के विभिन्न मण्डलों में 'राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिक संस्थान (NIELIT)' द्वारा आयोजित की जाने वाली 'ट्रिपल सी (कोर्स ऑन कम्प्यूटर कान्सेप्ट)' की आनलाइन परीक्षा में अनियमितता कराने एवं अभ्यर्थियों से अवैध आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं ठोस कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। अभिसूचना संकलन की कार्यवाही निरीक्षक श्री के0सी0राय व श्री अतुल कुमार सिंह के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज की एक टीम द्वारा की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में दिनांक-05.10.2020 को उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह, उ0नि0 श्री रणेन्द्र व आरक्षी हबीब सिद्दीकी, साजिद, प्रभन्जन, सन्तोष कुमार, उदय प्रताप सिंह, किशनचन्द्र की एक टीम सिविल लाइन, प्रयागराज में भ्रमणशील थी, कि मुखबिर से ज्ञात हुआ कि 'चन्द्रकला यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड' औद्योगिक क्षेत्र, नैनी परीक्षा केन्द्र में ट्रिपल-सी की आनलाइन परीक्षा हो रही है, जहाँ उक्त सेन्टर के मैनेजर व डायरेक्टर द्वारा परीक्षार्थियों को साल्वरों के माध्यम से आनलाइन पेपर साल्व कराया जा रहा है। मुखबिर द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर चन्द्रकला यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र नैनी के सेन्टर के प्रथम तल पर बने एक कमरे पर सेन्टर के मैनेजर अशोक कुमार नौटियाल को साथ लेकर जब चेक किया गया तो देखा गया कि कमरे में 13 व्यक्ति 26 कम्प्यूटर मानीटरों पर ऑन लाइन पेपर साल्व कर रहे हैं। विश्वास होने पर कि उक्त सभी 13 व्यक्ति साल्वर के रूप में अनुचित तरीके से ऑन लाइन पेपर साल्व कर रहे हैं, समय करीब 14.45 बजे सभी 13 साल्वरों एवं उक्त Institute के मैनेजर अशोक कुमार नौटियाल को पुलिस हिरासत में ले लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

पकड़े गए सेन्टर के मैनेजर अशोक कुमार नौटियाल व सभी 13 साल्वरों से विस्तृत पूछताछ कर जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि भारत सरकार की इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संस्था राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) द्वारा दिनांक:-29.09.2020 से 07.10.2020 तक आयोजित की जा रही ऑन लाइन ट्रिपल सी परीक्षा का एक केन्द्र चन्द्रकला यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड भी है। केन्द्र के मैनेजर अशोक कुमार नौटियाल ने बताया कि 'ट्रिपल सी' सर्टीफिकेट पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों से तय रकम को प्राप्त करने के पश्चात् साल्वरों के जरिये पेपर साल्व कराकर पास करा दिया जाता है। चूंकि ऐसे सभी अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर के पासवर्ड पूर्व से हम लोगों के पास होते हैं, इसलिए परीक्षा के समय Ammy Admin v 3.6 software के जरिये एक Main admin computer से सभी अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर सिस्टम को कनेक्ट कर साल्वरों के जरिये प्रश्न पत्रों को साल्व करा दिया जाता है। दो-दो परीक्षार्थियों के कम्प्यूटर सिस्टम पर एक-एक साल्वर को बैठाया जाता है, जो एक साथ दोनों अभ्यर्थियों के पेपर साल्व करता जाता है। इससे कम साल्वरों के माध्यम से ज्यादा अभ्यर्थियों को पास कराया जा सकता है। इस तरह से ट्रिपल सी परीक्षा पास कराने के लिए प्रति अभ्यर्थी 5-5 हजार रुपये वसूल कर दो से ढाई हजार प्रति अभ्यर्थी की दर से साल्वरों को दिया जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना औद्योगिक क्षेत्र, जनपद प्रयागराज में मु0अ0सं0-268 / 2020 धारा-419/420 भादवि व 66/66डी आई0टी एक्ट व 3/10 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-1998 में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

चुनाव आयोग उ0प्र0 द्वारा दिनांक 03.11.2020 को प्रस्तावित 07 विधानसभाओं के उपचुनाव के दृष्टिगत निर्गत दिशा निर्देश के अनुक्रम में सम्बन्धित 07 जनपदों द्वारा की गयी अब तक की कार्यवाही का विवरण:—

दिनांक 29.09.2020 से दिनांक 05.10.2020 तक ।

1. अवैध शस्त्रों की बरामदगी— 39
2. अवैध कारतूसों की बरामदगी— 68
3. अवैध शस्त्र फैक्ट्री— 01
4. गैर जमानती वारण्ट पर गिरफ्तार— 50
5. अवैध शराब की बरामदगी— 1079 लीटर ।
6. एन0डी0पी0एस0एक्ट के अन्तर्गत बरामदगी— 4.450 किलोग्राम ।
5. निरोधात्मक कार्यवाही—9239 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 1886 व्यक्तियों को पाबन्द कराया गया ।

प्रस्तावित विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 के अवसर पर सम्बन्धित जनपदों में एरिया डोमिनेशन ड्रियूटी हेतु 07 कम्पनी पीएसी का आवंटन किया गया है ।

जनपद पीलीभीत/थाना माधोटाण्डा (गैंगेस्टर एक्ट में अपराधी की 83 लाख 73 हजार 100 रुपये कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद पीलीभीत पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अपराधी रूबल सिंह द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 83 लाख 73 हजार 100 रुपये की गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी ।

जनपद सोनभद्र/थाना बीजपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 अभियुक्तों को अजीवन कारावास की सजा)

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एस0जे0 द्वारा थाना बीजपुर पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302 भादवि में 04 अभियुक्तों 1—ब्रहमदेव, 2—प्रवीण, 3—हरिराम, 4—सत्यप्रकाश को आजीवन कारावास एवं 10—10 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।